

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 48

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)													
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	587.47	171.71	759.18	973.20	188.00	1161.20	669.40	191.00	860.40	1059.60	190.00	1249.60	
पूँजी	24.00	...	24.00	16.80	...	16.80	0.60	...	0.60	9.40	...	9.40	
जोड़	611.47	171.71	783.18	990.00	188.00	1178.00	670.00	191.00	861.00	1069.00	190.00	1259.00	
सहा होम्योपैथी	2251	14.88	0.40	15.28	21.39	0.81	22.20	21.39	0.60	21.99	22.00	0.61	22.61
	2210	56.00	55.01	111.01	55.00	58.38	113.38	58.00	57.34	115.34	64.60	59.25	123.85
	2210	18.00	21.71	39.71	28.15	22.89	51.04	26.62	23.49	50.11	42.00	22.74	64.74
	2210	35.00	...	35.00	44.22	...	44.22	54.22	...	54.22	48.00	...	48.00
	2210	9.26	16.09	25.35	19.90	20.35	40.25	13.00	20.35	33.35	13.15	20.36	33.51
सहा		118.26	92.81	211.07	147.27	101.62	248.89	151.84	101.18	253.02	167.75	102.35	270.10
	2210	32.20	16.70	48.90	32.58	17.80	50.38	43.86	19.90	63.76	58.00	17.69	75.69
	2210	21.37	2.15	23.52	25.00	2.81	27.81	25.00	2.90	27.90	30.45	2.90	33.35
	4210	...	...	...	0.20	...	0.20	...	...	...	2.00	...	2.00
	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	4.00	...	4.00
सहा	2210	0.91	4.81	5.72	1.03	5.46	6.49	1.41	5.66	7.07	1.20	5.67	6.87
		54.48	23.66	78.14	58.91	26.07	84.98	70.27	28.46	98.73	95.65	26.26	121.91
2210	53.27	35.63	88.90	49.68	35.45	85.13	52.68	36.36	89.04	60.00	36.50	96.50	

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
4.02 राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान	2210	13.00	...	13.00	15.00	...	15.00	18.50	...	18.50	17.40	...	17.40
4.03 अखिल भारतीय यूनानी औषधि संस्थान	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	4.00	...	4.00
जोड़- यूनानी		66.27	35.63	101.90	64.78	35.45	100.23	71.18	36.36	107.54	81.40	36.50	117.90
5. योग, प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध													
5.01 मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान	2210	7.31	4.00	11.31	12.00	4.20	16.20	12.00	4.42	16.42	17.50	4.20	21.70
5.02 केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद	2210	12.70	2.00	14.70	14.00	2.25	16.25	...	2.25	2.25	12.80	2.24	15.04
5.03 अखिल भारतीय योग संस्थान	2210	...	...	...	0.20	...	0.20	...	...	...	4.00	...	4.00
5.04 केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद	2210	6.00	10.38	16.38	15.00	13.31	28.31	15.00	13.31	28.31	15.00	13.31	28.31
5.05 अन्य स्कीमें	2210	6.00	...	6.00	5.56	...	5.56	5.56	...	5.56	9.00	...	9.00
जोड़- योग, प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध		32.01	16.38	48.39	46.76	19.76	66.52	32.56	19.98	52.54	58.30	19.75	78.05
जोड़-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी		271.02	168.48	439.50	317.72	182.90	500.62	325.85	185.98	511.83	403.10	184.86	587.96
6. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	2210	51.99	...	51.99	58.00	...	58.00	42.87	...	42.87	63.00	...	63.00
7. आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	2210	8.32	...	8.32	21.93	...	21.93	8.00	...	8.00	20.00	...	20.00
8. आयुष की अन्य स्कीमें													
8.01 सूचना, शिक्षा और संचार	2210	8.94	...	8.94	12.50	...	12.50	11.40	...	11.40	15.50	...	15.50
8.02 अतिरिक्त मुराल अनुसंधान परियोजना	2210	1.34	...	1.34	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
8.03 आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/देशी औषधियों आदि में संलग्न गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र में उत्कृष्ट/प्रत्यायित आयुष केंद्रों को सहायता	2210	8.95	...	8.95	13.50	...	13.50	8.80	...	8.80	13.50	...	13.50
8.04 विशिष्ट नैदानिक केंद्रों /आईपीडीएस की स्थापना के लिए सरकारी निजी भागीदारी	2210	0.03	...	0.03	0.57	...	0.57	...	...	...	0.50	...	0.50
8.05 राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान	2210	18.70	...	18.70	24.00	...	24.00	14.40	...	14.40	27.00	...	27.00
8.06 आयुष में राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	4.00	...	4.00
8.07 राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	0.10	...	0.10
8.08 राष्ट्रीय सोबा रिगपा संस्थान	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	0.10	...	0.10
8.09 केन्द्रीय सोबा रिगपा अनुसंधान परिषद	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	1.00	...	1.00
8.10 भारतीय आयुष फार्मास्यूटिकल	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	0.10	...	0.10

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
विज्ञान संस्थान													
8.11 राष्ट्रीय आयुष पुस्तकालय और अभिलेखागार	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	3.40	...	3.40
8.12 एएसयू दवाओं हेतु फार्माकोविजिलेन्स पहल	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	2.00	...	2.00
8.13 केन्द्रीय आयुष औषधि नियंत्रक	2210	...	...	...	0.80	...	0.80	...	...	...	7.60	...	7.60
8.14 राष्ट्रीय आयुष स्वास्थ्य कार्यक्रम	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	5.70	...	5.70
8.15 आयुष ग्राम	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	5.60	...	5.60
8.16 अन्य कार्यक्रम	2210	38.60	3.98	42.58	25.55	4.29	29.84	16.50	4.42	20.92	29.50	4.53	34.03
	4210	...	...	...	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.40	...	0.40
	जोड़	38.60	3.98	42.58	26.15	4.29	30.44	17.10	4.42	21.52	29.90	4.53	34.43
जोड़- आयुष की अन्य स्कीमें		76.56	3.98	80.54	81.42	4.29	85.71	53.70	4.42	58.12	120.00	4.53	124.53
9. आयुष संस्थाओं का विकास	2210	21.00	...	21.00	49.54	...	49.54	14.00	...	14.00	45.00	...	45.00
10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)													
10.01 अस्पताल और औषधालय (आयुष फ्लेक्सी-पूल सहित एनआरएचएम के अंतर्गत) (पूर्ववर्ती आयुष अस्पताल और औषधालयों का विकास तथा आयुष को मुख्यधारा में शामिल करना)	2210	93.43	...	93.43	257.00	...	257.00	84.00	...	84.00	212.00	...	212.00
11. एएसयू एवं एच दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण	2210	1.20	...	1.20	10.00	...	10.00	2.00	...	2.00	8.00	...	8.00
12. औषधीय पौधों का राष्ट्रीय मिशन	2210	49.07	...	49.07	58.00	...	58.00	48.84	...	48.84	62.00	...	62.00
जोड़-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य		572.59	172.46	745.05	853.61	187.19	1040.80	579.26	190.40	769.66	933.10	189.39	1122.49
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान													
13.01 राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	2552	...	...	...	7.00	...	7.00	5.69	...	5.69	7.00	...	7.00
13.02 उत्तर पूर्वी आयुष/देशी औषधि संस्थान	2552	...	...	...	38.54	...	38.54	39.81	...	39.81	37.50	...	37.50
13.03 आयुष संस्थाओं का विकास	2552	...	...	...	5.46	...	5.46	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
13.04 औषध गुणवत्ता नियंत्रण	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13.05 अस्पताल और औषधालय (आयुष फ्लेक्सी-पूल सहित एनआरएचएम के अंतर्गत) (पूर्ववर्ती आयुष अस्पताल और औषधालयों का विकास तथा आयुष को मुख्यधारा में शामिल करना)	2552	...	...	...	23.00	...	23.00	6.00	...	6.00	28.00	...	28.00
13.06 औषधियों पौधों का राष्ट्रीय मिशन	2552	...	...	...	7.00	...	7.00	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00

		वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
		मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
13.07	अनुसंधान परिषदें	2552	...	...	...	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	17.90	...	17.90
13.08	सूचना ,शिक्षा और संचार	2552	...	...	...	1.50	...	1.50	0.85	...	0.85	2.00	...	2.00
13.09	आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13.10	आयुष शिक्षा/औषधी विकास एवं अनुसंधान/ नैदानिक अनुसंधान/लोक औषधियों आदि कार्यों में लगे गैर-सरकारी/प्राइवेट क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त मान्य आयुष केंद्रों को सहायता	2552	...	...	...	1.50	...	1.50	...	...	...	1.50	...	1.50
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान			...	...	...	99.00	...	99.00	69.35	...	69.35	106.90	...	106.90
14.	सरकारी उद्यमों में निवेश आईएमपीसी लिमिटेड	4210	24.00	...	24.00	16.00	...	16.00	...	...	...	7.00	...	7.00
15.	वास्तविक वसूलियां	2210	...	-1.15	-1.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़			611.47	171.71	783.18	990.00	188.00	1178.00	670.00	191.00	861.00	1069.00	190.00	1259.00
		विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
	1. होम्योपैथिक मेडीसिन फार्मास्युटिकल कम्पनी लि.	22210	...	...	...	0.20	...	0.20	...	...	...	2.00	...	2.00
	2. इंडियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन	22210	24.00	...	24.00	16.00	...	16.00	...	...	...	7.00	...	7.00
जोड़			24.00	...	24.00	16.20	...	16.20	...	...	...	9.00	...	9.00
ग. योजना परिव्यय														
	1. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	611.47	...	611.47	891.00	...	891.00	600.65	...	600.65	962.10	...	962.10
	2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	99.00	...	99.00	69.35	...	69.35	106.90	...	106.90
जोड़			611.47	...	611.47	990.00	...	990.00	670.00	...	670.00	1069.00	...	1069.00

1. **सचिवालय सामाजिक सेवाएं:** आयुष विभाग में सचिवालय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

2. **आयुर्वेद:** इसमें (i) आयुर्वेद में विकास व अनुसंधान हेतु केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा रोगी परिचर्या के लिए आदर्श संस्थान के रूप में सेवा देता

है (iii) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली के लिए प्रावधान शामिल हैं। अन्य स्कीमों में (iv) (क) गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के घटक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर को सहायता अनुदान तथा (ख) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के लिए प्रावधान शामिल हैं।

3. **होम्योपैथी:** इसमें (i) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, (ii) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता, जो एक स्वायत्त संगठन है, के लिए अनुदान और होम्योपैथिक स्नातकोत्तर कॉलेजों के उन्नयन हेतु अनुदान, (iii) सीजीएचएस को समय पर गुणवत्तायुक्त होम्योपैथी औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण हेतु होम्योपैथिक मेडिसिन्स कम्पनी लिमिटेड स्थापित करने, एनआरएचएम के अंतर्गत राज्य औषधालयों में होम्योपैथिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, (iv) होम्योपैथिक औषधियों के वैज्ञानिक आधार की खोज करने के लिए अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना करना और स्वास्थ्य और परिचर्या वितरण प्रणाली को मुख्यधारा में लाने तथा लोगों के लाभार्थ उसकी विश्वसनीयता को कायम करने का प्रावधान शामिल है। (v) अन्य स्कीमों के अंतर्गत प्रदर्शित प्रावधान (क) विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय, होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद और (ख) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, जो एक सांविधिक निकाय है तथा (ग) होम्योपैथी फार्माकोपिया समिति के लिए हैं।

4. **यूनानी:** इसमें (i) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद और (ii) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलूर (अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा जन स्वास्थ्य परिचर्या हेतु एक आदर्श संस्थान), जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है, (iii) आधुनिक नैदानिक उपकरणों, मशीनों, मानवशक्ति, विशेष परामर्शदात्री सेवाओं और उन्नत अनुसंधान स्कंधों के माध्यम से पर्याप्त नैदानिक एवं अन्वेषणीय सुविधाएं उपलब्ध करार यूनानी चिकित्सा पद्धति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय यूनानी चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **योग, प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध:** इसमें अन्य स्कीमों के अंतर्गत (i) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली (ii) केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (iii) वैज्ञानिक आकड़ों तथा साक्ष्य आधारित प्रयासों, विशेषतः, मनोदैहिक और जीवनशैलीगत रोगों, जिनका पारंपरिक चिकित्सा में प्रभावी समाधान नहीं है, सहित योग के अध्यापन और अनुसंधान कार्यक्रमों तथा इसकी परियोजना क्षमताओं के लिए अखिल भारतीय योग संस्थान स्थापित करने, (iv) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद तथा (v) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।

6. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण हेतु सुनिश्चित गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्रियां उपलब्ध कराने हेतु औषधीय पादपों के अंतःस्थान संरक्षण और बाह्य स्थान कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संवर्धनात्मक और संविदात्मक कृषि स्कीमें प्रारंभ की हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर घेरलू उपभोग और निर्यात के लिए उच्च प्राथमिकता वाले औषधीय पादपों की कृषि को गति प्रदान करने के लिए 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक 32 राज्य औषधीय पादप बोर्डों का गठन किया गया है।

7. **आयुष उद्योग समूहों के लिए साझा सुविधाओं का विकास:** इस स्कीम के अंतर्गत आयुष उद्योगों के समूह वाले स्थानों पर कच्ची सामग्री मानकीकरण एवं तैयार माल के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सुविधा स्थापित की जाती है।

8.4 & 8.16. **आयुष की अन्य स्कीमों:** ये वर्तमान आयुष अस्पतालों में विशिष्ट क्लिनिकों/अंतरंग रोगी विभागों की स्थापना के लिए सरकारी निजी भागीदारी हेतु आयुष अस्पताल एवं औषधालयों की स्कीम में अतिरिक्त घटक के लिए प्रावधान उपलब्ध कराती है। अन्य कार्यक्रमों में (i) सीजीएचएस में आयुष का विस्तार, (ii) अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम, (iii) टी.के.डी.एल. और सांविधिक संस्थाओं (iv) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सी.सी.आई.एम.) और (v) एएसयू संबंधी भेषज संहिता समिति का उन्नयन और एकीकृत भेषज संहिता आयोग के सृजन हेतु प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें (vi) विभाग

के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय पी.एल.आई.एम., गाजियाबाद (vii) आयुष प्रणाली के प्रयोग एवं स्वीकार्यता पर सर्वेक्षण (viii) आयुष कार्मिकों के लिए पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/अनवरत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई), (ix) स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूति संबंधी कार्यों/हड्डी सेट करने वालों/पशु चिकित्सा परिचर्या आदि के पुनः सशक्तीकरण हेतु गैर-सरकारी संगठनों का वित्तपोषण, (x) आयुष एवं जन-स्वास्थ्य, (xi) पाठ्य पुस्तकों और पांडुलिपियों के प्रापण, सूचीकरण, अंकीकरण और प्रकाशन हेतु स्कीम (xii) आयुष आईटी टूल्स, अनुप्रयोग और नेटवर्क का विकास (xiii) राष्ट्रीय जरा चिकित्सा संस्थान (xiv) राष्ट्रीय चयापचयी और जीवन शैली रोग संस्थान (xv) राष्ट्रीय औषध एवं तम्बाकू नशा-मुक्ति संस्थान (xvi) राष्ट्रीय आयुष मिशन भी शामिल हैं।

9. **आयुष संस्थाओं का विकास:** इस स्कीम के तहत स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर आयुष कॉलेजों को इस आशय के साथ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद द्वारा विनिर्धारित मानकों को प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी अवसंरचना को सुदृढ़ बना सकें।

10. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम):** एनआरएचएम के अंतर्गत अस्पताल और औषधालय स्कीम (आयुष फ्लैक्सीपूल सहित एनआरएचएम के तहत) (पूर्ववर्ती आयुष अस्पताल और औषधालय का विकास और आयुष को मुख्यधारा में लाना) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाएं सृजित करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम में आयुष को एकीकृत करने के प्रयोजनार्थ राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य जारी रहेगा। वर्तमान स्कीम को सितम्बर, 2009 में संशोधित किया गया था। इसमें तीन मुख्य घटक अर्थात् (i) सुविधाओं के उन्नयन हेतु मानकों के संशोधन और अनिवार्य औषधों एवं दवाओं की आपूर्ति सहित पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन जारी रखना, (ii) उपस्करों, अनिवार्य औषधियों का अर्जन और अनिवार्य कार्मिकों हेतु प्रावधान, जीर्णोद्धार, संयोजन हेतु अनुदान के प्रावधान के माध्यम से वर्तमान आयुष अस्पतालों और औषधालयों में सुविधाओं का उन्नयन (iii) जीर्णोद्धार, संयोजन, उपस्करों का प्रापण और अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण हेतु अनुदान संबंधी प्रावधान के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत तृतीय आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का संवर्धन शामिल है।

11. **आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधों का गुणवत्ता नियंत्रण:** इस केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को उनकी राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं/राज्यी फार्मेशियों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी विनिर्माण एकांशों को अच्छी विनिर्माण पद्धति का अनुपालन करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

12. **राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन:** यह आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) के लिए प्रयुक्त औषधियों के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, ताकि ऐसी औषधियों की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

13. **पूर्वोत्तर क्षेत्र:** केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 106.90 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

14. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों की आयुष संस्थाओं आदि में आपूर्ति के लिए इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रानीखेत का कुमाऊं मंडल विकास निगम (उत्तरांचल सरकार का उपक्रम) के साथ संयुक्त उद्यम है।